MR. SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of sub-section (2) of section 8, read with sub-section (3) of section 7 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), this House approves the following Notifications of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, namely—

(a) No. G.S.R. 870(E), dated the 6th November, 1976, increasing the export duty on coffee from Rs. 300 per quintal to Rs. 1300 per quintal,

(b) No. G.S.R. 877(E), dated the 13th November, 1976, increasing the export duty on groundnut kernel from Rs. 800 per tonne to Rs. 1500 per tonne and on groundnut in shell from Rs. 600 per tonne to Rs. 1125 per tonne, and

(c) No. G.S.R. 13(E), dated the 12th January, 1977, levying an export duty on cardamom at the rate of Rs. 50 per kilogram under the new Heading No. 22 in the Second Schedule to the said Act,

from the date of each of the notifications aforesaid."

*The motion was adopted.*

**16.53 hrs.**

## MESSAGE FROM THE VICE-PRESIDENT ACTING AS PRESIDENT

MR. SPEAKER: I have to inform the House that I have received the following message dated the 6th April, 1977 from the Vice-President acting as President:

"I have received with great satisfaction the expression of thanks by the Members of the Lok Sabha for the Address which I delivered to both Houses of Parliament assembled together on the 28th March, 1977."

**16.53½ hrs.**

## GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES (AMENDMENT) BILL

**गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह)** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

" कि संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

जैसा हम सबको ही मालूम है कांस्टीट्यूशन में यह संशोधन कर दिया गया है कि देश के अन्दर जितनी विधान सभाएं हैं उनकी अवधि 5 वर्ष के बजाय 6 वर्ष होगी । तो गवर्नमेंट आफ इंडिया जो अब से पहले देश के चार्ज में थी उस का विचार यह था कि यूनियन टेरिटरीज की विधान सभाओं की मुद्दत भी पांच साल के बजाये 6 साल कर दी जाए । लेकिन क्यों कि लोक सभा डिजाल्व की जा चुकी थी और राज्य सभा सेशन में नहीं थी, उस का इजलास चल नहीं रहा था तो उन्होंने एक आर्डिनेंस के जरिए पांच की जगह 6 साल यूनियन टेरिटरीज की विधान सभाओं की मुद्दत कर दी । लेकिन हम लोग अर्थात् मौजूदा गवर्नमेंट इस 6 साल की मुद्दत के खिलाफ है । हम इस को मुनासिब नहीं समझते और उसके लिए अलाहिदा एक विधेयक भी ग लिबन प्रस्तुत करने का विचार है या प्रस्तुत किया जा चुका है । वह तो अलग बात है लेकिन इसमें यूनियन टेरिटरीज की भी हम मुद्दत 6 से 5 साल ही चाहते हैं । गवर्नमेंट आफ इंडिया ने आर्डिनेंस के जरिए 5 साल की जगह 6 साल कर दिया था अब हम उसको 5 साल 7 महीने करना चाहते हैं । गोवा, डामन, ड्यू और मिजोरम—यह यूनियन टेरिटरीज कहलाती हैं । पहले हमारा विचार था कि गोवा डामन, ड्यू में केवल 4 महीने की मुद्दत बढ़ाई जाये । 23 मार्च को मुद्दत खत्म होती थी और 23 जुलाई तक एलैक्शन कराने का विचार था लेकिन मुझ को मालूम हुआ है कि वहां भी जून के आरम्भ में वर्षा आरम्भ हो जाती है जिसका मतलब यह है कि मई के बाद एलैक्शन कराने में कठिनाई होगी । इसलिए